

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

4 OCT 2018

क्रमांक प.24(4)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

श्री नेमीचन्द को विधि रचनाकार के पद पर इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.24(1)न्याय/2014 दिनांक 27.04.2018 द्वारा नियुक्त किया गया तथा पदस्थापन इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.24(1)न्याय/2014 दिनांक 27.04.2018 द्वारा विधि रचनाकार (प्रकोष्ठ-1), शासन सचिवालय, जयपुर में किया गया था। श्री नेमीचन्द ने दिनांक 30.04.2018 को विधि रचनाकार के पद पर कार्यग्रहण किया। श्री नेमीचन्द का 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें स्थायी नहीं किया गया है।

श्री नेमीचन्द, विधि रचनाकार, विधि (विधि रचना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का चयन कॉलेज व्याख्याता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014) के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर विधि विषय के पद पर हुआ है।

अतः राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के कार्मिक श्री नेमीचन्द, विधि रचनाकार, विधि (विधि रचना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2018 के अनुसार आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ(23-29)RPSC/Appt/ HRD/2017/4601 दिनांक 26.09.2018 के क्रम में कॉलेज व्याख्याता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014) के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर विधि विषय के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 05.10.2018 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है। श्री नेमीचन्द को स्थायी नहीं किया गया है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 15 के अनुसार इनका इस विभाग में लियन नहीं रखा जाएगा।

- ६० -


(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।

2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली



संयुक्त शासन सचिव